कोतवाली देहात पुलिस द्वारा किसान सेवा सहकारी लि0 समिति लूट की घटना का वांछित/15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभि0 जुल्फेकार लूट के 17000 रूपये सहित गिरफ्तार।

दिनांक 14.06.2021 को श्री गोपाल दत्त शर्मा पुत्र केशव दत्त शर्मा मूल निवासी गांव टुकरा पोस्ट टुकरा पट्टी (सल्ट) तहसील मौलेखान रानी खेत जनपद अल्मोडा (उत्तराखण्ड) हाल निवासी मौ0 रमपुरा थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर अपनी सहयोगी राजकुमारी के साथ किसान सेवा सहकारी लि0 समिति से 10,78,983/रूपये का बैग लेकर मोटर साईकिल DL 6 SQ 4292 से **(पैसों का बैग मोटर साईकिल के बैग में रखकर)** जिला सहकारी बैंक कोतवाली जा रहा था। जब यह लोग रामपुर से अकबराबाद वाली सडक पर पीर के पास नहर पुल पर पहुँचे तो 02 मोटरसाईकिल पर सवार 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोपाल दत्त शर्मा उपरोक्त की ऑखों में मिर्ची पाउडर डालकर उससे रूपयो का बैग लूट लिया। **इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 130/2021 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।**

स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनाँक 15.07.2021 को प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1–पुष्पेन्द्र पुत्र मुनीराज सिंह 2–रोहित पुत्र रामदयाल सैनी 3–अर्जुन पुत्र हुकम सिंह 4–चेतनराज उर्फ चिन्टू पुत्र स्व0 सूरजपाल को मय लूट के 2,52,000/रुपये तथा घटना मे प्रयुक्त दो अदद मोटरसाईकिले व 03 अदद मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। घटना में अभि0 जल्फेकार पुत्र लियाकत निवासी ग्राम दौलताबाद थाना को0देहात वांछित था जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज दिनॉक 20.07.2021 को थाना को0देहात पुलिस द्वारा घटना में शेष वांछित/15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभि0 जुल्फेकार पुत्र लियाकत निवासी ग्राम दौलताबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को समय 08.45 बजे, ग्राम दौलताबाद थाना कोतवाली देहात से गिरफ्तार किया गया।

विवरण पूछताछ–

अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि उसने साथी उपरोक्त के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। चेतनराज उर्फ चिन्टू उपरोक्त की माता श्रीमति राजकुमारी सहकारी सोसाइटी बेगमपुर शादी उर्फ रामपुर मे काम करती है तथा इस बात की जानकारी चिन्टू ने पहले ही हम लोगो को दी थी कि मेरी माँ प्रतिदिन सोसाइटी से रुपयो को लेकर जमा करने के लिए सहकारी बैंक कोतवाली जाती है, जिनके साथ कोई सुरक्षा नही रहती है। इस पर हम लोग सही समय का इन्तजार करने लगे तथा दिनांक 14.06.2021 को चिन्टू ने हम लोगो को फोन करके बताया कि मेरी माँ गोपालदत्त शर्मा के साथ करीब 10 लाख रुपये लेकर निकली है। इस पर हम लोगो ने आपस मे योजना बनाकर उनका पीछा किया, जब ग्राम रामपुर से निकले तो पीर के पास 02 मोटरसाईकिल पर सवार हम 04 लोगो ने आगे से मोटर साइकिल लगाकर रोक लिया तथा गोपाल दत्त शर्मा की आँखो मे मिर्ची पाउडर डालकर रुपयो का बैग लेकर भाग गये तथा आपस मे रूपयो को बराबर–बराबर बांट लिया था। लूट के रूपयों में से 02 लाख रूपये मेंरे हिस्से में आये थे यह 17000 हजार रूपये उसी के है वाकी रूपये खर्च हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

जुल्फेकार पुत्र लियाकत निवासी ग्राम दौलताबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः–

लूट के 17,000 रुपये ।

आपराधिक इतिहासः–

1.मु0अ0सं0 114/117 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली देहात, बिजनौर ।

2.मु0अ0सं0 130/2021 धारा 392/411/120बी भादवि – थाना कोतवाली देहात, बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः–

1.प्रभारी निरीक्षक श्री लव सिरोही, थाना कोतवाली देहात बिजनौर

2.. व0उ0नि0 मियांजान खाँ – थाना कोतवाली देहात, बिजनौर

3. का0 401 दीपक राणा – थाना कोतवाली देहात, बिजनौर

4. का0 1449 सहदेव – थाना कोतवाली देहात, बिजनौर

5. का0 25 खुर्शीद अहमद – थाना कोतवाली देहात, बिजनौर

थाना स्योहाराः– आज दिनांक 20.07.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त मुकेश पुत्र रमेश निवासी ग्राम गंगा वाली थाना नगीना जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 139/21 धारा 498ए/376/511/323/504/506 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना को0शहरः– आज दिनॉक 20.07.2021 को थाना को0शहर पुलिस द्वारा अभि0गण शुभम उर्फ हिमाशु पुत्र रामपाल निवासी ग्राम फरीदपुर सधीरन थाना हल्दौर जनपद बिजनौर सम्बन्धित मु0अ0स0–454/2021 धारा 379/411/420 भा0द0वि0 व खुर्रम पुत्र राशिद निवासी मो0 बडवान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर सम्बन्धित मु0अ0स0–456/2021 धारा 452/504/506/308 भा0द0वि0 व सुमित कुमार पुत्र किशनचन्द नि0 मौ0 चाहशीरी बी–24 थाना कोत0 शहर जनपद बिजनौर सम्बन्धित मु0अ0स0 470/21 धारा 498ए,376,323,506 भा0द0वि0 को गिरफ्तार किया गया।

सुमित

खुर्रम

हिमान्शु